अध्याय-VI
खनन प्राप्तियाँ

6.1 कर प्रशासन

राज्य में खनन से प्राप्तियों का आरोपण एवं उद्ग्रहण खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, खनिज परिहार नियमावली, 1960 और उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 द्वारा अधिनियमित होती है। शासन स्तर पर सचिव, भू–तत्व एवं खनिकर्म प्रशासकीय प्रमुख हैं। भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग का सम्पूर्ण नियंत्रण एवं निर्देशन निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में निहित है।

6.2 राजस्व का रुझान

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 25 के प्रावधानों के अनुसार बजट तैयार करने में यथासम्भव आकलनों का वास्तविक प्राप्तियों के सर्वाधिक सन्निकट होना मुख्य लक्ष्य है। इसलिए यह आवश्यक है कि न केवल राजस्व और प्राप्तियों की सभी मदें जिनका पूर्वानुमान किया जा सके, उपलब्ध हों, अपितु बजट वर्ष में विगत बकाये सहित उस सीमा तक एवं अधिक नहीं, जितना वसूल होने की सम्भावना हो उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

लेखा शीर्ष "0853 अलौह खनन और धातुकर्मीय उद्योगों से प्राप्तियों" का बजट अनुमान और वास्तविक प्राप्तियाँ नीचे दी गई हैं:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ			भिन्नता (+/-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य का कुल करेत्तर राजस्व	कुल करेत्तर प्राप्तियों से खनिज प्राप्तियों की प्रतिशतता
		मुख्य खनिज	उपखनिज	योग				
2007-08	448.96	115.17	280.03	395.20	(-) 53.76	(-) 11.97	5,816.01	6.80
2008-09	524.00	97.39	329.92	427.31	(-) 96.69	(-) 18.45	6,766.55	6.32
2009-10	667.75	149.09	455.88	604.97	(-) 62.78	(-) 09.40	13,601.09	4.45
2010-11	838.97	167.72	485.67	653.39	(-) 185.58	(-) 22.12	11,176.21	5.85
2011-12	900.00	181.94	411.34	593.28	(-)306.72	(-)34.08	10145.30	5.85

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे

अवधि 2007–08 से 2011–12 के दौरान बजट अनुमानों से वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता (कमी) 9.40 से 34.08 प्रतिशत के मध्य थी। अवधि 2007–08 से 2011–12 के मध्य खनन उद्योग से प्राप्तियों का प्रतिशत राज्य के करेत्तर राजस्व का 4.45 प्रतिशत से 6.80 प्रतिशत था।

बजट अनुमानों को बजट मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार तैयार किये जाने की हम संस्तुति करते हैं।

6.3 राजस्व का प्रभाव

अवधि 2006–07 से 2010–11 के दौरान निरीक्षण प्रतिवेदनों के द्वारा हमने रायल्टी, डेडरेण्ट आदि के दो प्रकरणों में ₹ 1.50 करोड़ के अवमूल्यांकन को इंगित किया। विस्तृत विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखा परीक्षित इकाइयों की सं0	आपत्तिगत धनराशि		स्वीकृत आपत्तियों की धनराशि		वसूल की गयी धनराशि
		प्रकरण की सं0	धनराशि	प्रकरण की सं0	धनराशि	
2006–07	..	..	..	..	..	..
2007–08	1	1	1.40	..	..	..
2008–09	..	..	..	..	..	..
2009–10	1	1	0.10	..	..	..
2010–11	..	..	..	..	..	..
योग	**2**	**2**	**1.50**	**0**	**0.00**	**0.00**

6.4 लेखापरीक्षा के परिणाम

भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग के अभिलेखों की हमारी नमूना जाँच में वर्ष 2011–12 के दौरान रायल्टी के अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं से सम्बन्धित 110 प्रकरण जिनमें ₹ 393.68 करोड की धनराशि सन्निहित है, प्रकाश में आये, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	श्रेणी	प्रकरणों / प्रस्तरों की संख्या	धनराशि
1.	रायल्टी और ब्याज की वसूली न किया जाना	27	32.02
2.	रायल्टी / ब्याज / स्टाम्प शुल्क का अनारोपण	2	0.71
3.	पट्टों का अनवीनीकरण / विलम्ब / अनिष्पादन	5	51.60
4.	अवैध खनन	2	80.78
5.	शास्ति का अनारोपण	1	159.79
6.	प्राप्तियों का गलत वर्गीकरण	1	0.41
7	अन्य अनियमितताएँ	72	68.37
	योग	**110**	**393.68**

वर्ष 2011–12 में विभाग ने हमारे द्वारा इंगित किये गये ₹ 26.25 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 9 मामले स्वीकार किये तथा एक मामले में ₹ 18.78 लाख वसूल किया।

कुछ निदर्शी मामले जिनमें ₹ 315.38 करोड़ की धनराशि सन्निहित है, अनुवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित हैं।

6.5 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों की हमारी जाँच में रायल्टी की वसूली नहीं/कम किये जाने, शास्तियों और ब्याज के अनारोपण, राजस्व हानि आदि के मामले प्रकाश में आये जिनका उल्लेख इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है। ये मामले उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा किये गये नमूना जाँच पर अधारित हैं। इस प्रकार की त्रुटियाँ प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती हैं परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती हैं, अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती हैं। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ़ करने की आवश्यकता है; जिससे भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति होने से बचा जा सके।

6.6 रायल्टी का वसूल न किया जाना

दिसम्बर 2004 में जारी की गयी एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0एस0) में ईंट–भट्ठा स्वामियों द्वारा ₹ 400 प्रति ईंट–भट्ठा प्रार्थना–पत्र शुल्क अदा कर अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के बाद ईंट–भट्ठा क्षेत्रों की श्रेणी के अनुसार निर्धारित दरों पर रायल्टी की धनराशि एकमुश्त अदा करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त ओ0टी0एस0एस0 में प्रावधान है कि यदि ईंट–भट्ठा स्वामी रायल्टी की एकीकृत धनराशि अदा करने में विफल रहता है, तो सक्षम अधिकारी ऐसे व्यवसाय को बन्द करा देगा और बकाया रायल्टी/अर्थदण्ड की वसूली के लिए ओ0टी0एस0एस0 के पैरा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ करेगा। इसके अतिरिक्त किराया, रायल्टी फीस या अन्य देय रकम पर ओ0टी0एस0एस0 के पैराग्राफ 1(5) के अनुसार निर्धारित दर से ब्याज भी आरोपित किया जा सकता है।

अक्टूबर 2010 एवं जनवरी 2012 के मध्य 15 जिला खान कार्यालयों[1] में हमने ईंट–भट्ठा पंजिका और ईंट–भट्ठा स्वामियों की पृथक पत्रावलियों के अन्य संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया कि अवधि 2005–06 से 2010–11 के दौरान 3684 ईंट–भट्ठे (कोटि[2]–अ : 582, कोटि[3]–बः 1208, कोटि[4]–सः 1894) ईंट–भट्ठाकाल[5] में संचालित थे। इन ईंट–भट्ठा स्वामियों ने ₹ 9.86 करोड़ की रायल्टी भी अदा नहीं की थी। अग्रेतर, पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि यद्यपि ईंट–भट्ठा स्वामियों जिन्होंने अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति हेतु अपेक्षित प्रार्थनापत्र शुल्क अदा किया था लेकिन उन्होंने समर्थित प्रपत्र जैसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र, भूमि स्वामी की सहमति के साथ भूमि की खतौनी या इसके लिए हलफनामा आदि प्रस्तुत नहीं किया था। इस प्रकार किसी एक भी प्रकरण में अनुज्ञापत्र जारी नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, उनके व्यवसाय को रोकने के लिए जिला खान अधिकारियों (जि0खा0अ0) द्वारा कार्यवाही नहीं की गयी थी। इस प्रकार ईंट–भट्ठों के अवैध संचालन को रोकने के लिए जि0खा0अ0 द्वारा कार्यवाही न करने के परिणामस्वरूप रायल्टी ₹ 9.86 करोड के अतिरिक्त ब्याज ₹ 5.29 करोड़ की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त जि0खा0अ0 राज्य

---

1 इलाहाबाद, बलिया, बस्ती, बाराबंकी, चन्दौली, गोरखपुर, हमीरपुर, कानपुर नगर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फर नगर, सहारनपुर एवं सोनभद्र।

2 कोटि–अः कानपुर नगर, मथुरा, मुजफ्फर नगर एवं सहारनपुर।

3 कोटि–बः इलाहाबाद, बाराबंकी, बस्ती, चन्दौली, कौशाम्बी एवं लखीमपुर खीरी।

4 कोटि–सः बलिया, गोरखपुर, हमीरपुर, मिर्जापुर एवं सोनभद्र।

5 भट्टा वर्ष किसी वर्ष के अक्टूबर माह से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष के सितम्बर माह तक रहता है।

प्रदूषण नियंत्रण विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र के बिना उनके अधिकार क्षेत्र में की गयी खनन संक्रियाओं के पर्यावरणीय प्रभाव के प्रति भी अनभिज्ञ थे।

प्रकरणों को लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद विभाग ने बताया (फरवरी 2012 और अगस्त 2012) कि 71 ईंट–भट्टा मालिकों से ₹ 18.78 लाख वसूल कर लिया गया है और दोषी ईंट–भट्ठा स्वामियों के विरूद्ध राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। देयों की वसूली और अवैध खनन रोकने के लिए कृत कार्यवाही हमें सूचित नहीं किया गया (फरवरी 2013)

मामला शासन को फरवरी 2012 में प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2013)।

6.7 ईंट बनाने की मिट्टी के अवैध हटान पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 3 व 57 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, इन नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत खनन अनुज्ञापत्र या खनन पट्टे में किये गये निर्बन्धनों और शर्तो के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में कोई खनन संक्रिया संचालित नहीं करेगा।
खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 (खान अधिनियम) की धारा 21(1) और (5) प्रावधानित करता है कि किसी अवैध खनन के लिए उस अवधि के लिए जब ऐसे व्यक्ति द्वारा विधिसम्मत प्राधिकार के बिना भूमि अधिग्रहीत की गयी हो, खनिज मूल्य के साथ किराया, रायल्टी या कर, जैसा भी प्रकरण हो, भी देय होगा। आगे उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली का नियम 57 आपराधिक कार्यवाही जिसमें छः माह तक बढ़ायी जा सकने वाली साधारण सजा या अधिकतम एक हजार रूपये तक के दण्ड या दोनों सजायें आकृष्ट करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने का प्रावधान करता है।

अक्टूबर 2010 एवं जनवरी 2012 के मध्य 13 जिला खान अधिकारी कार्यालयों[6] में हमने ईंट–भट्ठा स्वामियों की माँग, संग्रहण और अनुज्ञापत्र पंजिका की नमूना जाँच में पाया कि 2005–06 से 2010–11 की अवधि के दौरान 10277 ईट–भट्ठे (कोटि[7]–अः 3252, कोटि[8]–बः 3699, कोटि[9]–सः 3326) अनुज्ञापत्र स्वीकृत हेतु अपेक्षित शुल्क के साथ प्रार्थनापत्र और मिट्टी खनन हेतु खनन अनुज्ञापत्र और रायल्टी की एकमुश्त धनराशि दिये बिना संचालित थे । इस प्रकार, बिना खनन अनुज्ञापत्र के मिट्टी का किया गया खनन न सिर्फ अवैध था बल्कि पारिस्थितिकीय (इकोलाजिकल) संतुलन को भी प्रभावित कर रहा था। इस तथ्य के बावजूद कि खनन संक्रियाएँ की जा रही थीं, विभाग ने उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के अनुसार व्यवसाय को रोकने या अर्थदण्ड आरोपित करने की कोई कार्यवाही नहीं की। इस प्रकार, जैसा कि **परिशिष्ट–XIX** में दिया हुआ है, के अनुसार पर्यावरणीय प्रभाव के अतिरिक्त रायल्टी का पाँच गुना खनिज मूल्य मानकर ₹ 159.79 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

प्रकरणों को लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने के बाद विभाग ने बताया (फरवरी 2012) कि नियमानुसार खनन अनुज्ञापत्र केवल छः माह के लिए ही जारी किया जा सकता है, जबकि ओ0टी0एस0एस0 एक वर्ष के लिए होती है और इसलिए खनन अनुज्ञापत्र

---

6 इलाहाबाद, बाराबंकी, चन्दौली, फैजाबाद, गोरखपुर, हमीरपुर, जालौन, कानपुर नगर, कौशाम्बी, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर और सहारनपुर।

7 कानपुर नगर, मथुरा, मेरठ, एवं सहारनपुर।

8 इलाहाबाद, बाराबंकी, चन्दौली, जालौन एवं कौशाम्बी।

9 फैजाबाद, गोरखपुर, हमीरपुर एवं मिर्जापुर।

ईंट–भट्ठा स्वामियों को जारी नहीं किया जा सकता। विभाग द्वारा व्यवसाय को रोकने, रायल्टी/खनिज मूल्य के आरोपण और वसूली और अप्राधिकृत पर्यावरणीय प्रभाव पर कोई कार्यवाही न किये जाने के बारे में उत्तर नहीं दिया गया था।

मामला शासन को फरवरी 2012 में प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2013)।

6.8 स्टाम्प शुल्क और पंजीयन फीस के भुगतान के लिए प्रावधानों का न होना

6.8.1 उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली में डेडरेण्ट से अधिक रायल्टी के भुगतान के मामले में स्टाम्प शुल्क और निबंधन फीस आरोपण के लिए प्रावधान नहीं है।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के नियम 22 के अन्तर्गत खनन पट्टाधारक, पट्टे की अवधि के दौरान, पट्टे के प्रत्येक वर्ष के लिए अग्रिम में उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के द्वितीय अनुसूची में दी गयी दरों पर डेडरेन्ट के रूप में ऐसी धनराशि का, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा पट्टाविलेख में निर्दिष्ट किया गया हो, भुगतान करेगा। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुच्छेद 35 (सी) की अनुसूची 1(बी) सपठित उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 22 के अर्न्तगत डेडरेण्ट या रायल्टी दोनों में से जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क देय है। स्टाम्प आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अगस्त 2003 के आदेश द्वारा सभी जिलाधिकारियों को बालू के खनन पट्टे हेतु जमा प्रतिभूति धनराशि पर निर्धारित दर से स्टाम्प शुल्क आरोपित करने हेतु निर्देशित किया।

अक्टूबर 2010 और जनवरी 2012 के मध्य 11 जिला खान कार्यालयों[10] में हमने पट्टाविलेखों की पत्रावलियों की नमूना जाँच में पाया कि 2005–06 एवं 2009–10 के मध्य उपखनिजों के खनन हेतु बालू और बालू पत्थर आदि के 122 पट्टे निष्पादित किये गये, इन पर ₹ 15.89 करोड़ स्टाम्प शुल्क और निबंधन फीस का भुगतान पट्टाविलेखों में उल्लिखित डेडरेण्ट पर किया गया। पट्टाधारकों द्वारा उक्त अवधि में उपखनिजों के खनन पर कुल रायल्टी ₹ 58.72 करोड़[11] का भुगतान किया गया। यद्यपि भुगतान की गयी रायल्टी पट्टाविलेख में उल्लिखित डेडरेण्ट से अधिक थी, स्टाम्प शुल्क और निबंधन फीस की अन्तर धनराशि पर उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली में अपेक्षित प्रावधानों के अभाव में आरोपित नहीं किया जा सका। इस प्रकार शासन ₹ 2.48 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (फरवरी 2012) कि स्टाम्प शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुच्छेद 35 की अनुसूची 1(बी) में पारिभाषित डेडरेण्ट पर आरोपणीय है।

हम शासन से संस्तुति करते हैं कि जिन प्रकरणों में रायल्टी का भुगतान डेडरेण्ट से अधिक किया गया हो, पट्टाविलेखों में संशोधित पट्टाविलेखों के आवधिक निष्पादन की शर्त समाविष्ट की जानी चाहिए।

6.2.8.2 अक्टूबर 2010 एवं जनवरी 2012 के मध्य हमने दो जि0खा0अ0[12] के 189 पट्टाधारकों की पत्रावलियों में पाया कि अवधि 2005–06 से 2009–10 के दौरान विभाग ने स्टाम्प शुल्क और निबंधन फीस पट्टा विलेख के समय अग्रिम में जमा प्रतिभूति जमा

[10] इलाहाबाद, बाँदा, बाराबंकी, हमीरपुर, जालौन, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, महोबा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर एवं सोनभद्र।

[11] डेडरेन्ट भुगतान में सम्मिलित।

[12] बाँदा और हमीरपुर।

₹ 3.79 करोड़ पर विचार किये बिना केवल आरक्षित किराये पर आरोपित किया। परिणामस्वरूप ₹ 24.50 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा इस इंगित किये जाने के पश्चात्, विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2012) और बताया कि स्टाम्प शुल्क का आरोपण स्टाम्प अधिनियम के प्रावधान के अनुसार किया जायेगा। अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2013)।

मामला शासन को फरवरी 2012 में प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2013)।

6.9 विलम्ब से भुगतान की गयी रायल्टी पर ब्याज का अनारोपण

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 58(2) के अनुसार 30 दिवसों की नोटिस अवधि के बीत जाने पर किसी किराया, रायल्टी, सीमांकन शुल्क और राज्य सरकार के अन्य देयों के भुगतान में हुये विलम्ब के लिये 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज आरोपित की जायेगी। केवल ईट भट्टों से रायल्टी वसूली के प्रकरण में 18 मई 2009 के शासनादेश के तहत ब्याज की दर 24 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी।

अक्टूबर 2010 एवं जनवरी 2012 के मध्य हमने 14 जि0खा0अ0[13] की पट्टा पत्रावलियों से पाया कि 2005–06 से 2009–10 की अवधि के दौरान 1133 प्रकरणों में ₹ 5.10 करोड़ की देय रायल्टी फरवरी 2007 और मार्च 2011 के मध्य एक से 70 माहों के विलम्ब से जमा की गयी। यद्यपि विलम्ब से भुगतान का अपेक्षित विवरण अभिलेखों में उपलब्ध था, विभाग ने विलम्ब से किये गये भुगतान पर ब्याज के आरोपण और वसूली के लिए कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। परिणामस्वरूप **परिशिष्ट–XX** में दिये गये विवरण के अनुसार ब्याज के ₹ 46.24 लाख की वसूली नहीं हुई।

हमारे द्वारा इसे लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (फरवरी 2012) कि ब्याज की वसूली के लिए परीक्षण के बाद ईंट–भट्ठा स्वामियों को नोटिसें जारी की जायेंगी। पट्टाधारकों पर ब्याज के आरोपण के सम्बन्ध में विभाग ने विशिष्ट उत्तर नहीं दिया। अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2013)।

[13] इलाहाबाद, बाराबंकी, गोरखपुर, हमीरपुर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महोबा, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शाहजहाँपुर एवं सोनभद्र।

6.10 नये पट्टे स्वीकृत न किये जाने/पट्टों का नवीनीकरण न किये जाने से राजस्व क्षति

यदि कोई क्षेत्र जो खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए उपलब्ध है जिलाधिकारी नोटिस द्वारा क्षेत्र की उपलब्धता के लिए ऐसे क्षेत्रों की तारीख और विवरण का उल्लेख करते हुए आवेदकों से खनन पट्टों की स्वीकृति के लिए प्रार्थनापत्र आमंत्रित करेगा। आवेदक निर्धारित प्रपत्र एम0म0–1/एम0एम0–1ए में खनन पट्टे के नवीनीकरण/स्वीकृति हेतु आवेदन करेगा। खनन पट्टे की स्वीकृति हेतु प्रत्येक प्रार्थनापत्र के साथ अपेक्षित शुल्क, भूमि सर्वेक्षण मानचित्र के साथ भू–कर पंजी, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदक को जारी किया गया अदेयता प्रमाण पत्र, जाति और निवास प्रमाणपत्र और जिले के जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करेगा। राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी ऐसी जाँच करने के बाद जैसा वह आवश्यक समझे, आवेदित सम्पूर्ण क्षेत्रफल या अंश भाग के लिए और ऐसी अवधि के लिए जिसे वह उचित समझे, खनन पट्टा स्वीकृत या नवीनीकृत करेगा।

खनन पट्टे की स्वीकृति/नवीनीकरण के प्रार्थनापत्र नोटिस में निर्दिष्ट तिथि के सात कार्यदिवसों में प्राप्त किये जायेंगे। यदि फिर भी किसी क्षेत्र के लिए प्रार्थनापत्रों की संख्या तीन से कम है, तो जिलाधिकारी कार्यदिवसों को बढ़ा सकता है, इसके बाद भी यदि प्रार्थनापत्र तीन से कम रहते हैं तो जिलाधिकारी प्रार्थना पत्रों पर विचार करेगा और उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के प्रावधानों के अनुसार पट्टा स्वीकृत करेगा।

खान अधिनियम, की धारा 9–ए–1 के अनुसार पट्टे का प्रत्येक पट्टाधारक प्रत्येक वर्ष द्वितीय अनुसूची में सभी क्षेत्र के लिए निर्धारित दर से सम्पूर्ण वर्ष का अग्रिम में डेडरेण्ट निर्धारित तिथि को जमा करेगा।

लेखा परीक्षा द्वारा अक्टूबर 2010 से जनवरी 2012 के मध्य सात जि0खा0अ0[14] कार्यालयों से संकलित सूचनाओं से हमने पाया कि अप्रैल 2005 से जनवरी 2012 के मध्य 629 नदी बालू और बालू पत्थर की खदानें स्वीकृति/नवीनीकरण के लिए विज्ञापित की गयी थीं जिनमें से 100 खदानों को जिलाधिकारियों द्वारा अंतिम रूप दिया गया। शेष 529 खदानों के पट्टे जि0खा0अ0 कार्यालयों में निम्न विवरण के अनुसार अवशेष थीं:

कोटि	जिले का नाम	खदानों की संख्या	पट्टा रहित बालू का क्षेत्रफल (एकड़ में)	पट्टा रहित बालू /बालू पत्थर का क्षेत्रफल (एकड़ मे)	पट्टा रहित भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	अवधि	03/2011 तक शामिल भाटक[15] (करोड में)
तीन से कम प्रार्थनापत्र	इलाहाबाद	407	12808.92	0	12808.92	08/07 से 03/11	42.27
	चन्दौली	52	1479.87	0	1479.87	04/09 से 03/11	3.40
प्रार्थना पत्र प्रक्रिया में हैं	बाराबंकी	5	79.40	0	79.40	2005-06 से 2009-11	0.37
	फैजाबाद	24	262.45	0	262.45	2009-11	0.60
	गोरखपुर	12	90.00	0	90.00	11/06 से 03/11	0.34
	लखननऊ	1	43.00	0	43.00	11/08 से 03/11	0.07
	ललितपुर	28	0	123.14	123.14	04/05 से 03/11	0.71
	योग	**529**	**14763.64**	**123.14**	**14886.78**		**47.76**

[14] इलाहाबाद, बाराबंकी, चन्दौली, फैजाबाद, गोरखपुर, लखनऊ एवं ललितपुर।

[15] गणना का आधारः क्षेत्रफल X सरकार द्वारा निर्धारित डेडरेन्ट की दर (मई 2009 तक– बालू ₹ 6000 प्रति एकड़, बालू पत्थर ₹ 8000 प्रति एकड़ तथा जून 2009 से बालू ₹ 12000 प्रति एकड़, बालू पत्थर ₹ 16000 प्रति एकड़)

हमने फिर पाया कि 529 में से 459 खनन पट्टे तीन से कम प्रार्थनापत्र प्राप्त होने के कारण अनिस्तारित थे जबकि 70 प्रकरणों में प्रार्थनापत्र प्रक्रिया में थे। यद्यपि एक से पाँच वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी खनन पट्टे निर्दिष्ट अवधि में तय नहीं किये जा सके और शासन डेडरेण्ट के राजस्व की प्राप्ति से वंचित रहा क्योंकि खनिज विकास में गतिरोध के अतिरिक्त बरसात के कारण बालू बह गयी।

6.10.2 पट्टों का नवीनीकरण न किये जाने के कारण राजस्व क्षति

हमने जि0खा0अ0, ललितपुर में पाया कि गिट्टी/बोल्डर के 2004 एवं 2008 के मध्य 39 प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए, इनमें से एक प्रार्थनापत्र पर विचार करते हुए पट्टा नवीनीकृत किया गया। शेष नवीनीकरण के 38 प्रार्थनापत्र जिनमें 165 एकड़ क्षेत्रफल आच्छादित था, शासन स्तर पर तीन से सात वर्षों से अनिस्तारित थे। इसके परिणामस्वरूप डेडरेण्ट ₹ 98.37 लाख की क्षति हुई।

6.10.3 पट्टों का नवीनीकरण/नये पट्टे स्वीकृत न किये जाने के कारण राजस्व क्षति

जि0खा0अ0, बाराबंकी, चन्दौली और मथुरा में बालू के 17 और बालू पत्थर के 4 पट्टों, जिनमें 389.61 एकड़ क्षेत्रफल आच्छादित था, की अवधि जनवरी 2004 और मई 2010 के मध्य समाप्त हो गयी थी। हमने पाया कि दिसम्बर 2000 और 16 अक्टूबर 2004 के शासनादेशों के बावजूद नये क्षेत्रों के पट्टे के लिए विभाग द्वारा सर्वेक्षण, क्षेत्रों की पहचान के लिए मानचित्र आदि नहीं बनाये गये । इसके परिणामस्वरूप 2003–04 एवं 2010–11 के मध्य डेडरेण्ट के रूप में ₹ 1.43 करोड़ की राजस्व क्षति हुई।

6.10.4 पट्टा नवीनीकरण में विलम्ब

गोरखपुर में बालू खनन के पाँच और ललितपुर में गिट्टी/बोल्डर के एक पट्टे के नवीनीकरण हेतु समय से प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए लेकिन वे आठ माह से सात वर्ष तक के विलम्ब से नवीनीकृत हुए। विभाग के स्तर पर पट्टों के नवीनीकरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 5.70 लाख डेडरेण्ट की राजस्व क्षति हुई।

6.10.5 पट्टा स्वीकृति में विलम्ब

हमने पाया कि ललितपुर जनपद में ग्रेनाइट के तीन, बालू पत्थर के चार तथा बालू के एक पट्टे के लिए प्रार्थनापत्र अप्रैल 1996 एवं नवम्बर 2006 के मध्य प्राप्त हुए तथा जनपद चन्दौली में बालू खनन के पाँच पट्टों के लिए प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए। एक वर्ष सात माह से 15 वर्ष तक के विलम्ब से पट्टों का निष्पादन किया गया। इस प्रकार डेडरेण्ट ₹ 70.02 लाख की राजस्व क्षति हुई।

मामला शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2012)। विभाग ने विशिष्ट उत्तर नहीं दिया। शासन का उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2013)।

सरकार राजस्व हित में जिला कार्यालयों में लम्बित खनन पट्टों की स्वीकृति/नवीनीकरण के आवेदन पत्रों के प्रकरणों पर नजर रखने के लिए आवधिक विवरणी निर्धारित करने पर विचार कर सकती है।

6.11 रायल्टी की वसूली न/कम किया जाना

6.11.1 अक्टूबर 2010 से जनवरी 2012 के मध्य हमने पाँच जि0खा0अ0[16] के 12 पट्टाधारकों की प्रस्तुत विवरणियों की संवीक्षा के दौरान पाया कि ₹ 2.31 करोड़ की रायल्टी अक्टूबर 2000 से मार्च 2011 के मध्य पट्टाक्षेत्र से हटाये गये उपखनिजों पर देय थी। हमने पाया कि पट्टाधारकों ने केवल ₹ 70 लाख की रायल्टी का भुगतान किया। सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने कम/गलत दर से भुगतान पर ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप **परिशिष्ट–XXI** में दिये गये विवरण के अनुसार ₹ 1.31 करोड़ के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 1.60 करोड़ रायल्टी की कम वसूली हुई।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 का नियम 58 (1) और (2) प्रावधानित करता है कि पट्टाधारक से किसी धनराशि की वसूली हेतु नोटिस दी जायेगी, और यदि नोटिस प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर, पट्टाधारक ऐसी धनराशि का भुगतान करने में असफल रहता है, तो उसे भू–राजस्व की भाँति वसूल किया जायेगा । इसके अतिरिक्त उपरोक्त नियमावली का उपनियम (2) प्रावधानित करता है कि नोटिस की अवधि की समाप्ति के बाद 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज भी वसूल किया जा सकता है। पट्टा विलेख प्रपत्र (एम0एम0–6) की सामान्य शर्तो के अनुसार, पट्टाविलेख की किसी शर्त के उल्लंघन के प्रकरण में पटटा निरस्त और जमा प्रतिभूति राजसात की जा

6.11.2 दरों में पुनरीक्षण के कारण रायल्टी का कम आरोपण

अक्टूबर 2010 से जनवरी 2012 के मध्य हमने तीन जि0खा0अ0 कार्यालयों[17] में खनन पट्टों की पत्रावलियों की संवीक्षा में पाया कि पट्टा अनुबंध की शर्तों के विपरीत विभाग ने 42 खनन पट्टों में रायल्टी और डेडरेण्ट की दरें चार से 44 महीनों की अवधि तक पुनरीक्षित नही किया। इसके परिणामस्परूप निम्न विवरण के अनुसार ₹ 65.70 लाख रायल्टी की कम वसूली हुई।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के नियम 14 के साथ पठित अक्टूबर 2004 का शासनादेश प्रावधानित करता है कि रायल्टी का भुगतान समय समय पर पुनरीक्षित दरों के आधार पर किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा रायल्टी की दरों को 2 जून 2009 के शासनादेश द्वारा पुनरीक्षित किया गया।

(₹ लाख में)

क्रमांक	जनपद	प्रकरणों की सं0	क्षेत्रफल एकड़ में	पुनरीक्षण से पूर्व की देय दर [18]	पुनरीक्षित दर से देय दर [19]	जमा किया गया वास्तविक पट्टा किराया	अन्तर
1	इलाहाबाद	7	106.76	16.20	32.40	26.71	5.70
2	गोरखपुर	17	234.50	25.19	50.39	25.19	25.20
3	कौशाम्बी	18	620.00	34.80	69.60	34.80	34.80
	योग	**42**	**961.26**	**76.19**	**152.39**	**86.70**	**65.70**

[16] गोरखपुर, जालौन, ललितपुर, मिर्जापुर एवं मुजफ्फरनगर।

[17] इलाहाबाद, गोरखपुर एवं कौशाम्बी।

[18] शासकीय आदेश सं0 6714/77-5-2004-200-77 दिनांक 15 दिसम्बर 2004 द्वारा लागू दरें 16 दिसम्बर 2004 से 01 जून 2009 तक– बालू ₹ 6000 प्रति एकड़, बालू पत्थर ₹ 8000 प्रति एकड़।

[19] शासकीय आदेश सं0 530/86-77-2009-200/77-टी.सी.-II लखनऊ, दिनांक 02 जून 2009 से रायल्टी की दरों में संशोधन के पश्चात लागू दरें– बालू ₹ 12000 प्रति एकड़, बालू पत्थर ₹ 16000 प्रति एकड।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर विभाग ने लेखा परीक्षा आपत्ति स्वीकार की (फरवरी 2012) और बताया कि वसूली की कार्यवाही की जायेगी। अंतिम उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2013)।

6.12 अनधिकृत उत्खनन

6.12.1 अक्टूबर 2010 से जनवरी 2012 के मध्य हमने पाँच जि0खा0अ0[20], के पट्टाधारकों के खनन पट्टों की पत्रावलियों की नमूना जाँच में पाया कि पट्टाधारकों ने अवधि 2005–06 से 2010–11 के दौरान 28,33,850 घनमी0 स्टोन बैलास्ट का उत्खनन अनुमोदित खनन योजनाओं में उल्लिखित मात्रा से अधिक का किया। इस प्रकार पट्टाधारकों द्वारा उपखनिज का उत्खनन अनाधिकृत था और पट्टाधारकों से खनिज मूल्य ₹ 77.87 करोड़ वसूलनीय था। जि0खा0अ0 ने न तो खनन योजना से अधिक उत्खनन के विरूद्ध कोई कार्यवाही प्रारम्भ की और न ही ₹ 77.87 करोड़ के खनिज मूल्य की वसूली के लिए कोई कार्यवाही की जैसा कि तालिका में वर्णित है:

खनिज परिहार नियमावली, 1960 के नियम 22 ए में प्रावधान है कि खनन संक्रियाएँ विधिवत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार होनी चाहिए और खनन पट्टा संचालन के दौरान स्वीकृत खनन योजना में संशोधन हेतु पूर्व अनुमोदन भी अपेक्षित है। खान अधिनियम 1957 की धारा 21(5) के अन्तर्गत जब कभीं कोई व्यक्ति विधिसम्मत प्राधिकार के बिना, किसी खनिज को किसी भूमि से हटायेगा, राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से ऐसे उठाये गये खनिज या जहाँ ऐसा खनिज पूर्व में हीं हटाया गया है, रायल्टी के साथ खनिज मूल्य वसूल कर सकती है। इसके अतिरिक्त उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 21(2) के अन्तर्गत रायल्टी खनिमुख मूल्य का अधिकतम 5 प्रतिशत की दर से निर्धारित है।
उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 34(2) के अन्तर्गत संगमरमर, चूने का पत्थर, इमारती पत्थर जैसे बालू पत्थर और ग्रेनाइट, स्टोन बैलास्ट (गिट्टी), बजरी आदि, के प्रकरणों में पट्टाधारक द्वारा प्रपत्र एम0एम0–1(ए) में प्रार्थना पत्र के साथ खनन योजना संलग्न करना अपेक्षित है । नदी तल में पाये जाने वाले बालू और मौरम के लिए खनन योजना की आवश्यकता नहीं है।

(₹करोड में)

क्रमांक	जनपद	प्रकरणों की संख्या	कुल आरक्षित घनमी. में	खनन योजना के अनुसार स्वीकृत मात्रा घन मी. में	खनन की गयी कुल मात्रा घनमी. में	अधिक किया गया खनन घनमी. में	वसूलनीय खनिज मूल्य
1	झाँसी	5	290865	45000	140750	95750	2.96
			59840	12000	147520*	135520	3.77
			50374	15000	55000*	40000	1.23
			100000	24000	238200*	214200	5.96
			52129	12000	125800*	113800	2.56
2	ललितपुर	2	245486	36000	267663*	231663	4.33
			120428	15000	45582	30582	0.56
3	महोबा	5	116761	30000	180950*	150950	3.86
			113751	16000	156600*	140600	3.61
			131182	20000	155400*	135400	3.34
			157795	30000	219150*	185150	4.96
			खनन योजना नवीनीकृत नहीं	---	428950*	428950	13.19
4	सोनभद्र	5	68330	18000	106200*	88200	2.34
			93912	24000	328000*	304000	8.76
			19583	6000	310500*	304500	9.03
			10415	3000	133900*	130900	4.16
			117433	21000	74400	53400	1.44

[20] झाँसी, ललितपुर, महोबा, मिर्जापुर एवं सोनभद्र।

5	मिर्जापुर	5	लागू नहीं	5600	19759	14159	0.48
			लागू नहीं	7000	21440	21440	0.73
			लागू नहीं	10500	13960	3460	0.12
			लागू नहीं	7000	15228	8228	0.28
			लागू नहीं	8000	13998	5998	0.20
योग		**22**	**1748284**	**365100**	**3198950**	**2833850**	**77.87**

स्रोत : पट्टाधारकों की पत्रावलियाँ

* अनुमोदित खनन योजना से अधिक मात्रा का उत्खनन

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये (फरवरी 2012) जाने पर, विभाग ने बताया कि यदि खनन योजना में दी गयी मात्रा से अधिक उपखनिज का उत्खनन किया जाता है, तब उत्खनन अवैध नहीं कहा जाता है क्योंकि पट्टाधारक पट्टाक्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज की किसी भी मात्रा का उत्खनन करने के लिए प्राधिकृत है।

हम विभागीय उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 34 (2) के अनुसार स्वस्थाने किस्म की चट्टानों के सम्बन्ध में खनन संक्रियाएँ निदेशक द्वारा अनुमोदित खनन योजना जिसमें वार्षिक विकास की योजना का ब्यौरा होगा, के अनुसार की जायेंगी। खनिज परिहार नियमावली के नियम 22 ए में प्रावधान है कि खनन संक्रियाएँ विधिवत् अनुमोदित खनन योजना के अनुसार प्रारम्भ की जायेंगी। खनन योजना में संशोधन भी पूर्व अनुमति के साथ अपेक्षित है। इस प्रकार खनन योजना में अनुमोदित मात्रा से अधिक उपखनिज का उत्खनन अनधिकृत था। अंतिम उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2013)।

6.12.2 खनन योजना के नवीनीकरण के बिना उपखनिज का उत्खनन

अक्टूबर 2010 एवं जनवरी 2012 के मध्य हमने जि0खा0अ0, बाँदा के पट्टाधारकों की पत्रावलियों से पाया कि दो पट्टाधारकों ने उपखनिजों का उत्खनन और परिवहन अपनी खनन योजनाओं के नवीनीकरण/अनुमोदन के बिना किया। एक पट्टाधारक की खनन योजना केवल तीन वर्ष के लिए अनुमोदित की गयी थी। फिर भी, विभाग ने पट्टाधारक को खनन योजनाओं की अवधि समाप्ति के बाद 18 माह के लिए नियमित एम0एम0–11 प्रपत्र जारी किये। दूसरे प्रकरण में उपखनिज का उत्खनन खनन योजना के अनुमोदन से पूर्व प्रारम्भ किया गया। इस प्रकार उपरोक्त उल्लिखित अवधि के दौरान पट्टाधारकों द्वारा 4800 घनमी0 उपखनिजों का अवैध खनन किया गया। यद्यपि खनिज मूल्य ₹ 12.87 लाख पट्टाधारकों से वसूलनीय था, जि0खा0अ0, बाँदा ने न तो अनधिकृत खनन को रोकने और न ही उत्खनित उपखनिज के मूल्य को वसूलने के लिए कोई कार्यवाही की।

इसे इंगित किये जाने पर (दिसम्बर 2011) जि0खा0अ0, ने बताया कि पट्टाधारकों द्वारा खनन संक्रियाएँ माँग के अनुसार और निर्धारित दर से डेडरेण्ट/रायल्टी का भुगतान कर संचालित की गयी थीं।

हम विभागीय उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि खनन संक्रियाएँ अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अपेक्षित थीं जिसका अनुसरण नहीं किया गया। अंतिम उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2013)।

6.13 खान अधिनियम और उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के बीच असमानता

हमने पाया कि खान अधिनियम और उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के बीच अवैध खनन के प्रकरणों के सम्बन्ध में दण्ड प्रावधानों और खनिज मूल्य की वसूली जैसे दो मुद्दों के मध्य समानता नहीं है।

खान अधिनियम की धारा 21 में कारावास की अवधि जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या अर्थदण्ड जिसे ₹ 25000 तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों दण्ड दिये जा सकते हैं या जब कोई व्यक्ति वैध पट्टा/अनुज्ञापत्र के बिना किसी खनिज को अवैध रूप से हटायेगा वह रायल्टी के साथ खनिज मूल्य का दायी होगा, जबकि उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली में कारावास जिसे छः माह तक बढ़ाया जा सकता है या शास्ति जिसे एक हजार तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों, सजा का प्रावधान है । उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली में उपखनिजों के अवैध खनन पर खनिज मूल्य की वसूली के लिए कोई सुसंगत प्रावधान नहीं है।

हमने 14 जि0खा0का0[21] में देखा कि जि0खा0अ0 द्वारा वैध एम0एम0–11 प्रपत्रों के बिना उपखनिजों के अवैध परिवहन के 1,555 प्रकरणों को जि0खा0अ0 द्वारा प्रशमित (2005–06 से 2010–11 के मध्य) एवं दण्ड आरोपित किया गया। 78 प्रकरणों में अधिकतम दण्ड ₹ 25000 और 10 प्रकरणों में न्यूनतम दण्ड शून्य आरोपित किया गया। 1,467 वाहनों को अत्यल्प धनराशि आरोपित कर अवमुक्त किया गया। इस प्रकार विभाग द्वारा आरोपित की गयी शास्ति में समानता नहीं थी।

इस प्रकार दण्ड आरोपण में अस्पष्टता थी, खान अधिनियम और उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली दोनों के प्रावधानों का प्रयोग समान ढंग से नही किया जा रहा था।

इंगित किये जाने के बाद विभाग ने बताया (फरवरी 2012) कि अवैध परिवहन के प्रकरणों में शासन के दिसम्बर 2011 की अधिसूचना के अनुसार नियमावली में संशोधन कर अधिकतम दण्ड ₹ 25000 कर दिया गया है । फिर भी अधिकतम कारावास की अवधि केवल छः माह तक है।

हमारा विचार है कि उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली की खान अधिनियम के साथ समानता और उपखनिजों के अवैध परिवहन को रोकने में एकरूपता होनी चाहिए।

6.14 अवैध खनन पर खनिज मूल्य और रायल्टी की वसूली न किया जाना

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 3 के अन्तर्गत उपखनिजों हेतु लागू नियमों के अतिरिक्त राज्य के अन्दर कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र में पट्टा विलेख या खनन अनुज्ञा पत्र में दी गयी अवधि और शर्तो के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अतिरिक्त खनन संक्रियाएँ नहीं करेगा।

इसके अतिरिक्त खान अधिनियम, 1957 की धारा 21 (5) में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी विधिक प्राधिकार के किसी उपखनिज को किसी भूमि से हटाता है, राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से ऐसे हटाये गये उपखनिज या जहाँ ऐसे उपखनिज का परिवहन कर लिया गया है, रायल्टी के साथ खनिज मूल्य और उस अवधि के लिए जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति द्वारा बिना विधिक प्राधिकार के भूमि कब्जे में रखी गयी, किराया, रायल्टी या कर, जैसा भी प्रकरण हो, वसूल कर सकती है ।

6.14.1 अक्टूबर 2010 एवं जनवरी 2012 के मध्य हमने तीन जिला खान अधिकारी कार्यालयों[22] में पट्टाधारकों की पत्रावलियों में पाया कि अवधि 2005–06 से 2010–11 के दौरान पट्टाधारकों ने उपखनिज (बालू) का उत्खनन अनुमोदित पट्टे के अतिरिक्त क्षेत्रों से किया। ऐसे

---

[21] इलाहाबाद, बाँदा, बाराबंकी, हमीरपुर, जालौन, झाँसी, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मथुरा, सहारनपुर एवं सोनभद्र।

[22] लखनऊ, मथुरा एवं सोनभद्र।

बालू के 2,09,972.05 घनमी0 अवैध उत्खनन के प्रकरणों का विभाग द्वारा पता लगाया गया और पट्टाधारकों को नोटिस जारी की गयी। फिर भी विभाग ने ऐसे उठाये गये उपखनिजों का खनिज मूल्य नहीं निकाला और न ही इन पट्टाधारकों से ₹ 2.35 करोड़ की रायल्टी तथा खनिज मूल्य की वसूली के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष मामला दर्ज किया। परिणामस्वरूप खनिज मूल्य ₹ 1.96 करोड़ तथा रायल्टी ₹ 39.11 लाख की वसूली नहीं हुई।

6.14.2 हमने जि0खा0अ0, जालौन में पाया कि 16,990 घनमी0 अनधिकृत रूप से उत्खनित बालू का विभाग द्वारा पता लगाया गया (26 फरवरी 2009) और विभाग ने ₹ 4.16 लाख[23] की माँग बिना खनिज मूल्य ₹ 42.56 लाख सम्मिलित किये की (मार्च 2009)।

इन प्रकरणों को इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (फरवरी 2012) कि खनिज मूल्य और रायल्टी की वसूली खान अधिनियम की धारा 21 की उपधारा 1 के तहत अपराध के संज्ञान लेने के लिए सक्षम अदालत के आदेश द्वारा की जा सकती है। तथ्य यह है विभाग ने खनिज मूल्य की वसूली के लिए सक्षम अदालत के समक्ष वाद दर्ज नहीं किया था। अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं है (फरवरी 2013)।

6.15 कोयला पट्टा

कोयला खान अधिनियम में मुख्य खनिज पारिभाषित किया गया है।

खान अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत पट्टे में दिये गये निबन्धनों और शर्तो के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में कोई खनन संक्रियाएँ प्रारम्भ नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 8(1) के अनुसार खनन पट्टे की अवधि 30 वर्ष से अधिक स्वीकृत नहीं की जा सकती। निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अनुसार अचल सम्पत्ति के पट्टे के निबंधन के लिए वर्ष दर वर्ष या बढ़ी हुई कोई एक वर्ष की अवधि या वार्षिक आरक्षित किराया आवश्यक है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 26 प्रावधानित करती है कि स्टाम्प शुल्क डेडरेण्ट या रायल्टी दोनों में से जो भी अधिक हो पर ₹ 20 प्रति हजार की दर से देय है। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश दि0 27 जुलाई 2007 के अनुसार कृष्णशिला परियोजना को 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टा स्वीकृत किया गया।

अक्टूबर 2010 एवं जनवरी 2012 के मध्य हमने जि0खा0अ0 सोनभद्र के अभिलेखों एवं हमारे सह कार्यालय[24] द्वारा उपलब्ध कराये गये नार्दर्न कोलफील्ड्स लि0 (एन0सी0एल0) के अभिलेखों की जाँच की और पाया कि एन0सी0एल0 की कृष्णशिला कोयला खनन परियोजना ने 859.95 हेक्टेयर भूमि में खनन कार्य जनवरी 2008 में प्रारम्भ किया और एन0सी0एल0 ने जनवरी 2008 एवं मार्च 2011 के मध्य रायल्टी के रूप में ₹ 96.20 करोड़ का भुगतान किया।

अभिलेखों में कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि खनन संक्रियाएँ प्रारम्भ किये जाने से पूर्व एन0सी0एल0 ने खनन पट्टा निष्पादित किया था।

हमने एन0सी0एल0 की चार अन्य कोयला परियोजनाओं बीना, काकरी, दुद्धीचूआ और खड़िया जो राज्य में क्रमशः 1974, 1980, 1991 और 1992 से संचालित थीं के सम्बन्ध में समान स्थितियाँ पायीं। अभिलेखों में खनन पट्टे निष्पादित किये जाने का कोई संकेत

[23] रायल्टी – ₹ 3,90,770 और शास्ति – ₹ 25,000

[24] कार्यालय प्रधान निदेशक एम0ए0बी0–।।, कोलकाता।

नहीं मिलता। यद्यपि एन0सी0एल0 ने पुष्टि की है कि पट्टे निष्पादित नहीं किये गये थे। इस प्रकार, विभाग किसी भी शर्त, जिनके अन्तर्गत पट्टे स्वीकृत किये गये थे, के प्रवर्तन अथवा निगरानी की स्थिति में नहीं था। इसके अतिरिक्त शासन इन समस्त प्रकरणों में स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस की प्राप्ति से वंचित रहा।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने बताया (फरवरी 2012) कि उनके पास कोयले के खनन पट्टों के निष्पादन की सूचना उपलब्ध नहीं है और कोयले के खनन पट्टे भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये थे।

चूँकि सोनभद्र में कोयला खनन विभाग के राजस्व का लगभग 30 प्रतिशत का योगदान देता है, हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत निबन्धनों और शर्तों के अनुसार पट्टा अनुबंध को निष्पादित किये जाने और कोयला क्षेत्र में खनन संक्रियाओं का एक निगरानी तन्त्र विकसित किए जाने को सुनिश्चित करना चाहिए ।

6.16 पारगमन पासों की पंजिका का रख–रखाव

शासन ने सितम्बर 2003 के निर्देश द्वारा सभीं जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपदीय कार्यालयों में एम0एम0–11 प्रपत्रों हेतु एक स्टाक रजिस्टर¥ एवं निर्गमन पंजिका£ बनाई जायेगी तथा क्षेत्रीय कार्यालय का प्रभारी अधिकारी सम्बन्धित जिलों के रजिस्टर की जॉच एवं सत्यापन करेगा। आगे, सरकार ने अपने फरवरी 2001 के आदेश को अगस्त 2002 व अक्टूबर 2006 में दोहराया और सभीं जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोक निर्माण कार्यों पर प्रयुक्त उपखनिज को रायल्टी का भुगतान करने के पश्चात् वैध एम0एम0–11 प्रपत्रों द्वारा लाया गया, निर्देशित किया।

फरवरी 2001, अगस्त 2002 तथा अक्टूबर 2006 के शासनादेशों के अनुसार सरकारी कार्यदायी संस्थाओं को उनके ठेकेदारों द्वारा जमा किये गये एम0एम0–11 प्रपत्रों का सत्यापन सम्बन्धित जिला खान कार्यालयों से करना आवश्यक था।

¥ स्टाक रजिस्टर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से प्राप्त सभीं एम0एम0–11 प्रपत्रों को जिला खान कार्यालय में अभिलिखित किया जाने वाला एक रजिस्टर।

£ निर्गमन रजिस्टर पट्टा धारकों को निर्गत एम0एम0–11 प्रपत्रों का विवरण अंकित किये जाने हेतु जिला खान कार्यालय में रखा जाने वाला एक रजिस्टर।

सत्रह जनपदों[25] में एम0एम0–11 प्रपत्रों की स्टाक पंजिकाओं की नमूना जाँच में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयीं :

- चार जनपदों[26] ने स्टाक रजिस्टर के रख–रखाव की सूचना उपलब्ध नहीं कराया।
- दो जनपदों[27] में स्टाक पंजिका का रख–रखाव नहीं किया गया था।
- 15 जनपदों[28] में से मात्र तीन जनपदों[29] में प्रभारी अधिकारी द्वारा स्टाक पंजिका का सत्यापन किया गया था।

[25] इलाहाबाद, बाँदा, बाराबंकी, चन्दौली, फैजाबाद, गोरखपुर, हमीरपुर, झाँसी, कानपुर नगर, कौशाम्बी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर एवं सोनभद्र।

[26] जालौन, लखीमपुर खीरी, मथुरा एवं सहारनपुर।

[27] बाराबंकी एवं लखनऊ।

[28] इलाहाबाद, बाँदा, चन्दौली, फैजाबाद, गोरखपुर, हमीरपुर, झाँसी, कानपुर नगर, कौशाम्बी, ललितपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर एवं सोनभद्र।

[29] इलाहाबाद, कौशाम्बी एवं मुजफ्फरनगर।

- 11 जनपदों[30] में कार्यदायी संस्थाओं ने एम0एम0–11 प्रपत्रों को सत्यापन हेतु सम्बन्धित जि0खा0अ0 को अग्रसारित किया और छः जनपदों[31] में एम0एम0–11 प्रपत्रों को सत्यापन हेतु सम्बन्धित जि0खा0अ0 को नहीं भेजा गया।

हमारी लेखापरीक्षा में 3381 एम0एम0–11 प्रपत्रों में यहाँ तक कि उन 11 जनपदों में जहाँ प्रपत्रों को जि0खा0अ0 को सत्यापन हेतु भेजा गया था, अनियमिततायें प्रकाश में आईं।

6.17 अवैध रूप से उत्खनित उपखनिजों के परिवहन को रोकने के लिए तन्त्र

खान अधिनियम, के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार अवैध खनन, परिवहन, उपखनिजों के संग्रहण को रोकने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। उत्तर प्रदेश (अवैध खनन, परिवहन और संग्रहण की रोकथाम) नियमावली, 2002 प्रावधानित करता है कि बिना वैध परिवहन पास (एम0एम0–11) के उपखनिजों का परिवहन अनियमित है। खान कार्यालय में जारी और प्रयुक्त परिवहन पासों (टी0पी0) की देखभाल के लिए नियंत्रण पंजिका का रख–रखाव किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त फरवरी 2001, अगस्त 2002 एवं अक्टूबर 2006 में जारी शासनादेशों के अनुसार कार्यदायी संस्थाओं द्वारा केवल सम्बन्धित जि0खा0अ0 से एम0एम0–11 प्रपत्रों की वैधता सत्यापन के बाद ही उन्हें स्वीकार किया जाना अपेक्षित था।

अक्टूबर 2010 एवं जनवरी 2012 के मध्य 21 जनपदों[32] की लेखा परीक्षा के दौरान हमने उन प्रकरणों को, जहाँ अधिनियम/नियमावली में दिये गये प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, आगामी अनुच्छेदों में वर्णित किया है। अक्टूबर 2010 और जनवरी 2012 के मध्य हमने लोकनिर्माण विभाग[33] (37), और ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा[34] (20) के 13830 एम0एम0–11 प्रपत्रों को यादृच्छिक रूप से चुना और उनकी पारस्परिक जाँच सम्बन्धित जिला खान कार्यालयों से की। संवीक्षा किये गये 13830 एम0एम0–11 प्रपत्रों में से 4943 प्रकरणों में हमने अनियमितताएँ पायीं, जो कि कुल जाँच किये गये प्रपत्रों के 36 प्रतिशत थे। एम0एम0–11 प्रपत्रों के दुरूपयोग, अवैध खनन और राजस्व क्षति पर हमारा निष्कर्ष, 21 जनपदों के सरकारी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये गये कार्यों तक ही सीमित है।

6.17.1 एम0एम0–11 प्रपत्र जो विभाग द्वारा जारी नहीं किये गये

निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों (बालू, पत्थर और स्टोन बेलास्ट) के सम्बन्ध में ठेकेदारों द्वारा अपने देयकों में प्रयोग किये गये उपखनिजों के परिवहन और उपयोगिता

---

30 बाँदा, बाराबंकी, चन्दौली, फैजाबाद, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर नगर, ललितपुर, लखनऊ, मिर्जापुर एवं सोनभद्र।

31 इलाहाबाद, हमीरपुर, कौशाम्बी, महोबा, मेरठ एवं मुजफ्फरनगर।

32 इलाहाबाद, बाँदा, बाराबंकी, चन्दौली, फैजाबाद, गोरखपुर, हमीरपुर, जालौन, झाँसी, कानपुर नगर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर एवं सोनभद्र।

33 इलाहाबाद (2) , बाँदा (3), बाराबंकी (2), चन्दौली (2), फैजाबाद (2), गोरखपुर (3), हमीरपुर (3), जालौन (2), झाँसी (3), कानपुर नगर (1), कौशाम्बी (1), लखीमपुर खीरी (2), ललितपुर (1), लखनऊ (2), महोबा (2), मथुरा , मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर एवं सोनभद्र।

34 इलाहाबाद, बाँदा, बाराबंकी, फैजाबाद, गोरखपुर, हमीरपुर, जालौन, झाँसी, कानपुर नगर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महोबा, मेरठ, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फर नगर, सहारनपुर एवं सोनभद्र।

के समर्थन में एम0एम0–11 प्रपत्र प्रस्तुत किये गये थे। ठेकेदारों द्वारा ऐसे प्रस्तुत किये गये एम0एम0–11 प्रपत्रों पर उनको पूर्ण भुगतान अवमुक्त कर दिया गया था।

अक्टूबर 2010 और जनवरी 2012 के मध्य हमने पाया कि 359 एम0एम0–11 प्रपत्र जो जि0खा0अ0 इलाहाबाद, झाँसी और सोनभद्र द्वारा जारी किये गये माने गये थे, जाली थे, क्योंकि जि0खा0 अधिकारियों ने ऐसे एम0एम0–11 प्रपत्रों के जारी किये जाने का खण्डन किया। जाली एम0एम0–11 प्रपत्र लोक निर्माण विभाग इलाहाबाद और ग्रामीण अभियन्त्रण सेवाएँ इलाहाबाद और झाँसी संभागों में प्रयोग किये गये पाये गये थे। चूँकि एम0एम0–11 प्रपत्र प्रामाणिक नहीं थे, अतः यह स्पष्ट है कि उपखनिजों पर रायल्टी का भुगतान नहीं किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इन 359 जारी एम0एम0–11 प्रपत्रों में समान क्रमांक के छः क्रमिक अंक 12 प्रपत्रों पर दोहरे प्रदर्शित थे जो जि0खा0अ0 सोनभद्र द्वारा जारी किये गये प्रदर्शित थे।

6.17.2 होलोग्राम के बिना एम0एम0–11 प्रपत्रों का उपयोग

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली सपठित शासनादेश दिनांक 27 सितम्बर 2003 तथा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म के पत्र दिनांक 4 जुलाई 2006 के अनुसार 15 जुलाई 2006 से बिना होलोग्राम लगे एम0एम0–11 प्रपत्र स्वीकार नही किये जाने थे और इन्हें अवैध माना जाना था। होलोग्राम के स्टिकर्स उपलब्ध न होने के कारण, 7 जनवरी 2008 से 31 मई 2008 के दौरान निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म के आदेश से बिना होलोग्राम लगे ट्रांजिट पास छापे गये।

अक्टूबर 2010 एवं जनवरी 2012 के मध्य हमने पाया कि 31 मई 2008 के बाद अप्रयुक्त एम0एम0–11 प्रपत्र वापस लेने और नष्ट करने के बजाय विभाग ने मार्च 2010 तक लगातार बिना होलोग्रामयुक्त एम0एम0–11 प्रपत्रों को जिला इकाइयों को जारी किया। इस प्रकार विभागाध्यक्ष और शासन के आदेशों का अनुपालन न किये जाने के कारण होलोग्रामयुक्त और बिना होलोग्राम के एम0एम0–11 प्रपत्रों का अन्तर्मिश्रण हो गया और सही तथा जाली प्रपत्रों की पहचान किया जाना सम्भव नहीं था। इस प्रकार हम एम0एम0–11 प्रपत्र जो बिना होलोग्राम के जारी किये गये थे, की सत्यता पर टिप्पणी नहीं कर सके।

हम अनुशंसा करते हैं कि बिना होलोग्रामयुक्त एम0एम0–11 प्रपत्रों को शीघ्र वापस लेने और नष्ट किये जाने के लिए विभाग को कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए।

6.17.3 अवैध एम0एम0–11 प्रपत्रों का उपयोग

उ0प्र0उ0ख0प0नियमावली के नियमों के अनुसार एम0एम0–11 फार्म को तीन प्रतियों में मुद्रित किया जाना आवश्यक है। (1) कार्यालय प्रतिपर्ण (पट्टाधारक का), (2) प्रथम प्रति (चेक पोस्ट/जाँचकर्ता के लिये) और (3) द्वितीय प्रति (परिवहन/उपभोक्ता के लिये)। एम0एम0–11 प्रपत्र की केवल उपभोक्ता प्रति (द्वितीय प्रति) ही परिवहन के लिये वैध है और रायल्टी भुगतान के प्रमाण स्वरूप स्वीकार की जा सकती है।

अक्टूबर 2010 एवं जनवरी 2012 के मध्य हमने लोक निर्माण विभाग[35] और ग्रामीण अभियन्त्रण सेवाएँ[36] सम्भागों के 2005–06 से 2010–11 की अवधि के अन्तिम भुगतान के देयकों में पाया कि 35,260.38 घनमी0 उपखनिज का उठान और

[35] बाँदा, बाराबंकी, चन्दौली, फैजाबाद, गोरखपुर, हमीरपुर, झाँसी, कानपुर नगर, कौशाम्बी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर एवं सोनभद्र।

[36] बाँदा, बाराबंकी, गोरखपुर, हमीरपुर, झाँसी, कानपुर नगर, ललितपुर, लखनऊ, मेरठ, एवं मिर्जापुर।

परिवहन 2,401 अवैध एम0एम0–11 प्रपत्रों[37] (कार्यालय प्रति और प्रथम प्रति) द्वारा किया गया।

कार्यदायी संस्थाओं के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने कार्यालय प्रतियों और चेकपोस्ट प्रतियों के दुरूपयोग का पता नहीं लगाया और रायल्टी और खनिज मूल्य की वसूली में असफल रहे।

परिवहन पासों की अवैध प्रतियाँ इलाहाबाद, औरैया, बाँदा, बाराबंकी, चित्रकूट, हमीरपुर, झाँसी, कानपुर देहात, कौशाम्बी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मिर्जापुर, सहारनपुर और सोनभद्र से सम्बन्धित थीं। जि0खा0अ0 ने पट्टाधारकों के अभिलेखों का मानकों के अनुसार आवधिक निरीक्षण नहीं किया। इस प्रकार परिवहन पासों की कार्यालय प्रति और प्रथम प्रति के दुरूपयोग का पता लगाने में असफल रहे।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर शासन/विभाग ने आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2012) और बताया कि सम्बन्धित पट्टाधारकों से रायल्टी की वसूली की जायेगी। फिर भी यह तथ्य रह जाता है कि विभाग/शासन ने खनिज स्रोतों के अनधिकृत और अवैज्ञानिक उपभोग से उत्पन्न पर्यावरणीय प्रभाव के साथ समझौता किया।

6.17.4 एम0एम0–11 प्रपत्रों के क्रमिक अंकों में अनियमितताएँ

दो एम0एम0–11 प्रपत्रों पर समान क्रमिक अंक नहीं हो सकते। यदि एक से अधिक एम0एम0–11 प्रपत्र समान क्रमांक के प्रयुक्त किये गये हैं, तो यह स्पष्ट है कि अभिलेख जाली/नकली हैं।

अक्टूबर 2010 और जनवरी 2012 के मध्य लो0नि0वि0[38]/ग्रा0अ0से0[39] संभागों में 20 प्रकरणों में हमने पाया कि 255 घनमी0 उपखनिजों का उठान और परिवहन समान क्रमिक अंकों वाले एम0एम0–11 प्रपत्रों द्वारा किया गया। हमने यह भी पाया कि 27 प्रकरणों में 334 घनमी0 उपखनिज का उठान और परिवहन एम0एम0–11 प्रपत्रों द्वारा किया गया, जिन पर कोई क्रमिक अंक नहीं थे।

ये एम0एम0–11 प्रपत्र जि0खा0अ0 बाँदा, मिर्जापुर और सोनभद्र से जारी किये गये थे।

स्पष्टतया, इनमें से उपरोक्त वर्णित 47 एम0एम0–11 प्रपत्र जाली थे। इस प्रकार खान अधिनियम और उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के अन्तर्गत रायल्टी और खनिज मूल्य के अतिरिक्त अर्थदण्ड वसूलनीय था।

6.17.5 एम0एम0–11 प्रपत्रों पर अयोग्य दिनांक

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली सपठित शासनादेश दिनांक 27 सितम्बर 2003 के अन्तर्गत, उपखनिजों का परिवहन बिना वैध एम0एम0–11 प्रपत्रों के नहीं किया जायेगा । जुलाई 2008 से पूर्व परिवहन पास, प्रपत्र एम0एम0–11 की जाँच और सत्यापन इस उद्देश्य से स्थापित चेक पोस्ट पर किया जाता था। खदान से एम0एम0–11 प्रपत्र जारी किये जाने के समय से 48 घंटे तक वैध है। इसके अतिरिक्त फरवरी 2001, अगस्त 2006 और अक्टूबर 2006 में जारी शासनादेशों के अनुसार केवल सम्बन्धित जि0खा0अ0 से वैधता सत्यापन के उपरान्त ही एम0एम0–11 प्रपत्रों को कार्यदायी संस्थाओं द्वारा स्वीकार किया जाना अपेक्षित था ।

लोकनिर्माण विभाग संभाग बाँदा, चन्दौली, गोरखपुर, लखनऊ, महोबा, मिर्जापुर और ग्रामीण अभियन्त्रण संभाग मिर्जापुर और लखनऊ के वाउचरों की संवीक्षा (अक्टूबर 2010 से जनवरी 2012) में हमने 293 प्रकरणों में पाया कि:

- ठेकेदारों ने अपने बिलों के समर्थन में

[37] कार्यालय प्रतियाँ (1165) एवं प्रथम प्रतियाँ (1236)।
[38] बाँदा, चन्दौली एवं मिर्जापुर।
[39] मिर्जापुर।

एम0एम0–11 प्रपत्र प्रस्तुत किये, यद्यपि बिलों को प्रस्तुत करने की तिथि खदान से खनिजों के निर्गत होने की तिथि से पूर्व की थी।

- चेक पोस्ट पर प्रेषण के सत्यापित किये जाने की तिथियाँ, एम0एम0–11 प्रपत्रों, जिस पर उपखनिजों का खदानों से परिवहन किया गया माना गया था, पर उल्लिखित तिथि से पूर्व की थीं।

सम्बन्धित आ0 एवं सं0 अ0 इन अनियमितताओं का पता नहीं लगा सके और बिलों से रायल्टी और खनिज मूल्य की कटौती किये बिना भुगतान अवमुक्त किया। अयोग्य तिथि वाले एम0एम0–11 प्रपत्र जि0खा0अ0 बाँदा, मिर्जापुर और सोनभद्र से सम्बन्धित थे।

जब हमने इसे फरवरी 2012 में इंगित किया विभाग ने सहमति जतायी कि सभी एम0एम0–11 प्रपत्रों की तीनों प्रतियों को विभिन्न रंगों में मुद्रित कराना चाहिए और सूचित किया कि उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 70 में तदनुसार संशोधन किया जायेगा। अंतिम उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2013)।

6.17.6 अपूर्ण एम0एम0–11 प्रपत्रों का प्रयोग

अक्टूबर 2010 और जनवरी 2012 के मध्य हमने लो0नि0वि0[40] / ग्रा0अ0से0[41] संभागों में बिलों/वाउचरों में पाया कि 2005–06 से 2010–11 की अवधि में ठेकेदारों को भुगतान अपूर्ण एम0एम0–11 प्रपत्रों पर किया गया जहाँ (1) वाहन पंजीकरण संख्या उल्लिखित नहीं थी (17 प्रकरण), (2) उपखनिज की मात्रा उल्लिखित नहीं थी (19 प्रकरण) (3) परिवहित किया जा रहा उपखनिज उल्लिखित नहीं था (110 प्रकरण) और (4) जनपद जहाँ उपखनिज का प्रेषण किया जाना था वह जनपद नहीं था, जहाँ उपखनिज का उपभोग किया गया था (312 प्रकरण)। आ0सं0अ0[42] ने इन अनियमितताओं पर ध्यान नहीं दिया और ठेकेदारों को भुगतान किया।

> परिवहन पास पट्टाधारक द्वारा जारी करते समय यह आवश्यक है कि सभी आवश्यक सूचनाएँ जैसे पट्टाधारक का नाम, खदान का नाम, परिवहित उपखनिज का नाम, परिवहित उपखनिज की मात्रा और गन्तव्य स्थल, प्रेषण के प्रभारी का नाम और पता, प्रेषण के प्रभारी का पूर्ण हस्ताक्षर, पट्टाधारक/परिवहन पास जारी करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का पूर्ण हस्ताक्षर आदि एम0एम0–11 प्रपत्र की सभी तीन प्रतियों में भरी जायेंगी। परिवहन पास में जिस वाहन से उपखनिज का परिवहन किया जायेगा उस वाहन की श्रेणी छिद्रित करना आवश्यक है। एम0एम0–11 प्रपत्र में जनपद का कोड निर्धारित स्थान पर छिद्रित करना आवश्यक है। दिनांक और जारी किये जाने का समय भरना आवश्यक है क्योंकि परिवहन पास जारी किये जाने के 48 घंटे बाद तक ही वैध है।

ये एम0एम0–11 प्रपत्र जि0खा0अ0 इलाहाबाद, बाँदा, झाँसी, महोबा, मिर्जापुर, सहारनपुर और सोनभद्र द्वारा जारी किये गये माने गए थे। इस प्रकार अपेक्षित सूचना/विवरण की अनुपस्थिति में एम0एम0–11 प्रपत्रों के उपयोग की सत्यता और उपखनिजों का परिवहन लेखापरीक्षा में सही–सलामत प्रमाणिक नहीं किया जा सका।

विभाग सहमत था (फरवरी 2012) कि ये उदाहरण गम्भीर समस्या का सूचक हैं और लो0नि0वि0/ग्रा0अ0से0 संभागों के स्तर पर जाँचोपरान्त सम्बन्धित जि0खा0अ0 और

---

40 इलाहाबाद, बाँदा, बाराबंकी, चन्दौली, फैजाबाद, गोरखपुर, महोबा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर एवं सोनभद्र।

41 इलाहाबाद, बाँदा, बाराबंकी, मेरठ, मिर्जापुर, एवं सहारनपुर।

42 शा0सं0–594/77–5–52001/200/77 टी0सी0–1 दिनांक 2 फरवरी 2001, शा0सं0–389/77–5–2002–1(216)93 दिनांक 5 अगस्त 2002 एवं शा0सं0–495(1)/77–5–2006–506/05 दिनांक 5 अक्टूबर 2006

पट्टाधारकों पर सख्त कार्यवाही की जायेगी । जहाँ आवश्यक होगा, उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किये जायेंगे।

एम0एम0–11 प्रपत्रों के विस्तृत दुरूपयोग और शासन की दूरगामी राजस्व क्षति पर विचार करते हुए, सरकार द्वारा वैध परिवहन पासों पर उपखनिजों का परिवहन सुनिश्चित कराने के लिए प्रभावी तन्त्र स्थापित किये जाने की हम अनुशंसा करते हैं।

6.18 पत्थर गिट्टी/मिट्टी के संग्रहण पर रायल्टी का अनारोपण/कम आरोपण

6.18.1 अक्टूबर 2010 से जनवरी 2012 के दौरान हमने लोक निर्माण विभाग/सिंचाई/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा[43] के 24 प्रखण्डों तथा दो विकास प्राधिकरणों[44] के ठेकेदारो के वाउचरों जो पत्थर/पत्थर गिट्टी की खरीद से संबन्धित थे, में देखा कि लो0नि0वि0/ग्रा0अ0से0 के इन प्रखण्डों ने वर्ष 2005–06 से 2009–10 की अवधि के मध्य ठेकेदारों को उपखनिजों की लागत का भुगतान किया। रायल्टी के भुगतान के प्रमाण स्वरूप प्रपत्र एम0एम0–11 ठेकेदारों द्वारा देयकों के साथ प्रस्तुत नहीं किये गये। इस तथ्य के बावजूद सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा 1,095 प्रकरणों में ठेकेदारों के देयकों से रायल्टी की धनराशि की कटौती नहीं की गयी। हमनें पाया कि विभाग ठेकेदारों के देयकों से रायल्टी कटौती के सम्बन्ध में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से एक मासिक विवरण प्राप्त करने की प्रणाली को लागू करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप ₹ 2.40 करोड़ की रायल्टी की वसूली नहीं/कम हुयी। विवरण **परिशिष्ट–XXII** में दिया गया है।

उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली के साथ पठित फरवरी 2001 के शासनादेश के अनुसार विभाग/ठेकेदार/उपभोक्ता द्वारा पत्थर/गिट्टी के संग्रहण पर रायल्टी का भुगतान किया जायेगा। अगस्त 2002 एवं अक्टूबर 2006 के शासनादेशों के द्वारा शासन ने यह स्पष्ट किया कि आहरण एवं वितरण अधिकारी (आ0 एवं वि0अ0) रायल्टी की वसूली के लिये उत्तरदायी हैं। यदि ठेकेदार देयकों के साथ रायल्टी रसीद के रूप में प्रपत्र एम0एम0–11 या प्रपत्र सी★ प्रस्तुत नहीं करते तो आ0एवं वि0अ0 रायल्टी की कटौती ठेकेदारों के देयकों से करके खजाने में जमा करेंगे। यदि आ0एवं वि0अ0 ठेकेदारों के देयकों से रायल्टी की धनराशि की कटौती करने में विफल रहता है तो आ0एवं वि0अ0 हानि की पूर्ति करने के लिये उत्तरदायी होगा। संबन्धित कार्यदायी एजेन्सी/ आ0एवं वि0अ0 को जिलाधिकारी/निदेशक भू तत्व एवं खनिकर्म को एक मासिक विवरण/प्रमाणपत्र जिसमें कोई रायल्टी देय बकाया नही है अथवा कोई धनराशि खजाने में जमा किये जाने के लिये शेष नहीं है, प्रस्तुत करना होगा। पत्थर गिट्टी पर रायल्टी की दर ₹ 32 प्रति घनमीटर निर्धारित की गयी थी जिसे बढा कर 02 जून 2009 से ₹ 48 कर दिया गया।

★ प्रपत्र सी भंडारण की जगह से खनिजों के परिवहन के लिये एक पारगमन पास है जिसे भंडारण लाइसेंस धारक द्वारा निर्गत किया जाता है।

[43] अम्बेडकर नगर, बहराइच, बाराबंकी, बस्ती, बुलन्द शहर, फैजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, सोनभद्र एवं सुल्तानपुर।

[44] आगरा एवं फैजाबाद।

6.18.2 मृदा कार्य पर रायल्टी का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश संख्याः 1615/77–5–2001–200/77 दिनांक 28 मार्च 2001 द्वारा उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली के नियम 21 की अनुसूची 1 में मिट्टी को गौण खनिज के रूप में शामिल किया गया है। इससे पहले भारत सरकार (खान विभाग) ने अपने अधिसूचना संख्याः जी0एस0आर–95(ई0) 3 फरवरी 2000 द्वारा साधारण मिट्टी को उप खनिज घोषित कर दिया था। मिट्टी पर रायल्टी की दर 2001 में ₹ 4 प्रति घनमीटर तय किया गया था जिसे 16 दिसम्बर 2004 और 02 जून 2009 से बढ़ाकर कर क्रमशः ₹ 6 एवं ₹ 9 कर दिया गया था।

हमने ठेकेदारों के देयकों में देखा कि 19 जिलों[45] के लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/सिंचाई विभाग के 26 प्रखण्डों, दो विकास प्राधिकरणों[46] तथा दो जिला खान अधिकारियों[47] द्वारा मृदा कार्य कराया गया था। आहरण एवं वितरण अधिकारियों ने वर्ष 2005–06 से 2010–11 की अवधि के दौरान 1001 ठेकेदारों के देयकों से रायल्टी की राशि ₹ 1.39 करोड़ की कटौती नहीं की तथा 239 प्रकरणों में रायल्टी की राशि ₹ 26 लाख की कम कटौती की। विभाग ने ठेकेदारों के देयकों से कटौती के सम्बन्ध में आहरण एवं वितरण अधिकारियों से एक मासिक विवरण प्राप्त करने की प्रणाली को लागू नहीं किया फलस्वरूप रायल्टी की धनराशि ₹ 1.65 करोड़ वसूल नहीं किया जा सका। विवरण **परिशिष्ट–XXIII** में दिया गया है।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने फरवरी 2012 में बताया कि शासन के स्तर पर एक अन्तर्विभागीय बैठक बुलाई जायेगी तथा शासन को जवाबदेही तय करने के लिये अग्रिम कार्यवाही करने का सुझाव दिया जायेगा। फरवरी 2013 तक कार्यवाही की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

6.19 प्राप्तियों का गलत वर्गीकरण

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बाराबंकी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान हमने देखा कि

शासकीय नियमों और वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्रावधानों के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि कि सभी सम्बद्ध विभागों द्वारा भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग के एकत्रित राजस्व को उचित लेखा शीर्ष ''0853'' अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग में जमा किया जाय।

वर्ष 2005–06 से 2009–10 की अवधि में विभाग ने रायल्टी के रूप में ₹ 41.39 लाख[48] की वसूली की। इस वसूल की गयी धनराशि को लोक निर्माण विभाग के लेखा शीर्ष में जमा किया गया फलस्वरूप भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग की प्राप्तियाँ ₹ 41.39 लाख से कम दर्ज हुई।

प्रकरण को फरवरी 2012 में विभाग/शासन के संज्ञान में लाया गया। विभाग का उत्तर प्राप्त नही हुआ (फरवरी 2013)।

---

[45] आजमगढ, बाँदा, बाराबंकी, बिजनौर, देवरिया, इटावा, फैजाबाद, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, मिर्जापुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, सोनभद्र एवं सुल्तानपुर।

[46] आगरा एवं लखनऊ।

[47] लखनऊ एवं मेरठ।

[48] 2005–06 में ₹ 7.7 लाख, 2006–07 में ₹ 12.68 लाख, 2007–08 में ₹ 8.95 लाख, 2008–09 में ₹ 4.73 लाख और 2009–10 में ₹ 7.33 लाख